न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुवायाँ, शाहजहाँपुर।

<u>दीवानी वाद संख्या- 60/2019</u>

अमित शुक्ला **बनाम** **दुर्गा देवी आदि**

<u>दिनांक- 03-09-2021</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली वास्ते WS/Issues नियत है। तदर्थ पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन में पाया गया कि प्रस्तुत वाद न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद उभय पक्ष नियत तिथियों पर न्यायालय उपस्थित नहीं आ रहे है और न ही उनके विद्वान अधिवक्ता ही न्यायालय में उपस्थित आ रहे है और न ही उनकी ओर से कोई प्रार्थना पत्र ही दिया जा रहा है एवं न ही कोई पैरवी ही की जा रही है। आज भी बार-बार पुकार कराने पर कोई उपस्थित नहीं है। इन परिस्थितियों में ऐसा आभास होता है कि वादी प्रस्तुत वाद को आगे चलाना नहीं चाहता है। अतएव वादी द्वारा प्रस्तुत वाद उभय पक्ष की अदम हाजिरी/पैरवी में निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादी अमित शुक्ला की ओर से प्रस्तुत किया गया यह वाद उभय पक्ष की अदम हाजिरी/पैरवी में निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार भेजी जाए।

(अरविन्द कुमार सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुवायाँ
शाहजहाँपुर।
(ID No. UP3674)